संख्या:-14/2026/735/45वि/2026(1682412)

प्रेषक,

पनधारी यादव,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव एवं निदेशक,

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0,

लखनऊ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग लखनऊः दिनांक 10 सितम्बर, 2026

विषयः- वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर परिसर में प्रस्तावित महन्त अवैधनाथ ज्ञान-विज्ञान पार्क की स्थापना हेतु सिविल कार्यों की अवशेष धनराशि रू.783.399 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सीएसटी/डी-1088, दिनांक 14.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत विज्ञान पार्क की स्थापना के सम्बन्ध में अवशेष धनराशि कुल रू.783.399 लाख (रुपये सात करोड़ तिरासी लाख उन्तालीस हजार नौ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर के अन्तर्गत महन्त अवैद्यनाथ ज्ञान-विज्ञान पार्क की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में स्वीकृत प्रायोजना रू.1589.491 लाख के पार्ट-1 (सिविल) कार्य हेतु परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 861.62 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत रू0 430.81 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-2/2024/941/45वि/2023-प्रा(17)/ 2023, दिनांक 15 जनवरी, 2024 द्वारा निर्गत की गयी थी। इसके अतिरिक्त पूर्व में स्वीकृत प्रायोजना के पार्ट-2 एवं पार्ट-3 हेतु कुल रू0 718.431 लाख शासनादेश संख्या-11/2024/994 /45वि/2024, दिनांक 15 जुलाई, 2024 द्वारा निर्गत की गयी। इसी शासनादेश से ही एक्टिविटीज एवं टूल किट हेतु रू0 9.44 लाख की धनराशि गैर वेतन मद के अन्तर्गत जारी प्रथम द्विमासिक किश्त से वहन किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। इस प्रकार प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पूर्व में स्वीकृत कुल लागत रू.1589.491 लाख के सापेक्ष अब तक शासन स्तर से निर्गत कुल वित्तीय स्वीकृति रू0 1149.241 लाख है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 13.03.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-11/ 2024/994/45वि/2024, दिनांक 15 जुलाई, 2024 के माध्यम से जारी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष पूंजीगत मद में रू0 718.431 लाख के सापेक्ष 10 प्रतिशत की धनराशि रू0 71.84 लाख को रोकते हुए रू0 6,46,59,100.00 की धनराशि गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को निर्गत की गयी है। शासन को वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त रोकी गयी 10 प्रतिशत धनराशि समर्पित की गयी। अतः पूर्व स्वीकृत प्रायोजना में अब तक कुल वास्तविक खर्च रू0 1077.401 लाख है।

3. उल्लेखनीय है कि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर के अन्तर्गत महन्त अवैद्यनाथ ज्ञान-विज्ञान पार्क की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 05.05.2026 द्वारा पुनरीक्षित प्रायोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसे पी0एफ0ए0डी0 द्वारा समग्र पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन रू0 1921.53 लाख के सापेक्ष रू0 1860.80 लाख की लागत आंकलित की गयी। शासनादेश संख्या-399/45वि/2026(1682412), दिनांक 01.07.2026 द्वारा उक्त विज्ञान पार्क के कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 1860.80 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार उक्त विज्ञान पार्क की पुनरीक्षित प्रायोजना की लागत रू0 1860.80 लाख के सापेक्ष कुल व्यय रू0 1077.401 लाख करने के पश्चात रू0 783.399 लाख (रुपये सात करोड़ तिरासी लाख उन्तालीस हजार नौ सौ मात्र) की धनराशि अवशेष है।

4. अतः शासनादेश संख्या-399/45वि/2026(1682412),दिनांक 01.07.2026 द्वारा उक्त विज्ञान पार्क के कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 1860.80 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-70 के अधीन लेखाशीर्ष 5425-800-00-04-नक्षत्रशालाओं का आधुनिकीकरण के 24-वृहत निर्माण कार्य हेतु रु.1000.00 लाख के सापेक्ष रु.686.84 लाख तथा 26-मशीनें एवं साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद हेतु रू.1431.25 लाख के सापेक्ष रू.96.559 लाख अर्थात द्वितीय किश्त (अन्तिम किश्त) कुल रू.783.399 लाख (रुपये सात करोड़ तिरासी लाख उन्तालीस हजार नौ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत स्वीकृति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है। यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार अनुदान के आहरण बिल को अनु सचिव/विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 द्वारा विभिन्न भवन निर्माण कार्यों की गुणवता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनु0-2 के शासनादेश संख्या-2/2026/ए-2-आई/1172817/ 2025/दस-2025, दिनांक 02 जनवरी, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था की होगी।

(6) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

(7) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनु0-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 द्वारा परियोजनाओं के आगणनों में बॉट आउट आइटम्स के मूल्यांकन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनु0-1 के शासनादेश संख्या-9/2022/ए-1-357/दस-2022-10(55)/2000, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 एवं निर्माण कार्यों के परियोजनाओं में जी0एस0टी0 की संशोधित दरें लागू करने के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-2/2022/ई-8-292/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 अन्य शर्तों के साथ यह भी अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि इस पत्रावली सहित अन्य सभी पत्रावलियों में जिनमें वित्तीय आहरण / परियोजना लागत 01 करोड़ से ऊपर है उनमें सभी में वित्तीय आहरण के पहले उनका अंकन CMIS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कर लिया जाएगा । इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय के निर्देश स्पष्ट हैं ।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-70 के अधीन लेखाशीर्ष 5425-800-00-04-नक्षत्रशालाओं का आधुनिकीकरण के 24-वृहत निर्माण कार्य हेतु रु.1000.00 लाख के सापेक्ष रु.686.84 लाख तथा 26-मशीनें एवं साज-सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र मद हेतु रू.1431.25 लाख के सापेक्ष रू.96.559 लाख कुल रू.783.399 लाख (रुपये सात करोड़ तिरासी लाख उन्तालीस हजार नौ सौ मात्र) के नामे डाला जायेगा।

6. उक्त निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-7-42-X-2026-27 दिनांक 02-09-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पनधारी यादव)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
(7) राज्य योजना आयोग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in